

मै0 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जौलीग्रान्ट, डोईवाला, जनपद देहरादून के हवाई अड्डे के विस्तारीकरण परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के अन्तर्गत दिनांक 02.06.2018 को सम्पन्न लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण सम्बन्धी परियोजना की लोक सुनवाई हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना-2006 के अंतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना-1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना-2009 के अनुसार की गयी है।

जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित प्रतिनिधि अपर जिलाधिकारी श्री वी0एस0 बुदियाल की अध्यक्षता में दिनांक 02.06.2018 को जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के परिसर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में श्री एस0एस0 राणा (क्षेत्रीय अधिकारी) एवं श्री सुभाष चन्द पंवार (सहा0पर्या0 अभियन्ता) उपस्थित थे। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार रही।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रातः 11.30 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि क्षेत्रीय अधिकारी एस0एस0 राणा द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि मै0 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर, 2006 यथा संशोधित के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व लोक परामर्श हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र, अमर उजाला एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया के दिनांक 29.04.2018 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सुझाव, आपत्ति, टीका-टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यह भी अवगत कराया गया कि यदि स्थानीय लोगों को परियोजना के बारे में कोई आपत्ति एवं सुझाव देने हैं, तो उनको लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा। उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि जन समुदाय के विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिसकी वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी की जायेगी। मंच के माध्यम से सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

(4)



तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं, उन्हें मौखिक या लिखित रूप से व्यक्त करें, जिनको मिनट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

इसी अनुक्रम में मै० भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल सिंह द्वारा परियोजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। उनके द्वारा जन समुदाय को अवगत कराया गया कि हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुये परियोजना का विस्तारीकरण आवश्यक हो गया है। प्रस्तावित विस्तारीकरण योजना के फलस्वरूप विमानपत्तन की क्षमता 250 यात्री प्रति घंटे से बढ़कर 1300 यात्री प्रति घंटा हो जायेगा। विस्तारीकरण का कार्य स्थापित परिसर के भीतर ही किया जायेगा। विस्तारीकरण हेतु किसी अतिरिक्त भूमि एवं अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है। विस्तारीकरण के अंतर्गत टर्मिनल बिल्डिंग की बिल्टअप एरिया 37700 मीटर<sup>2</sup> किया जाना प्रस्तावित है। विस्तारीकरण के फलस्वरूप जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 175 किली०/दिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक के द्वारा जल, वायु एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना मानकों के अनुरूप प्रस्तावित की गयी है। परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण के प्रभाव के अध्ययन की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुतीकरण के उपरांत परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत मौखिक व लिखित सुझाव का विवरण निम्नानुसार है—

1. श्री डब्लु सिंह भंडारी (उपाध्यक्ष जिला पंचायत देहरादून) के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त लोक सुनवाई का प्रचार प्रसार नहीं किया गया, जिस कारण समीप स्थित गांव के अधिकांश निवासी उपस्थित नहीं हो पाये। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि लोक सुनवाई को पुनः आयोजित किया जाये। श्री भंडारी द्वारा लिखित रूप में भी सुझाव दिया गया कि टर्मिनल के विस्तारीकरण से वायु प्रदूषण में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे आसपास के क्षेत्र में दीर्घकालीन परियोजना के माध्यम से सघन वृक्षारोपण किया जाये। साथ ही विस्तारीकरण के पश्चात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में नये सृजन होने वाले पदों पर स्थानीय व्यक्तियों को वरीयता दी जायें। (प्रत्यावेदन संलग्न-1)

उक्त सुझाव के क्रम में प्रस्तावक के सलाहकार एवं अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि उक्त परियोजना के कियान्वयन हेतु किसी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है, जिस कारण पुनः लोक सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। उक्त परियोजना में मात्र टर्मिनल का विस्तारीकरण किया जाना है।

अन्त में लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हाथ खड़े कर परियोजना के पक्ष में सहमति व्यक्त की गई।


तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी।


उपरोक्त जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।  
संलग्नक—


1-फोटो व डीवीडी-02 प्रति।

2-उपस्थिति पंजिका-02 प्रति।

3-प्रत्यावेदन-01 (मूलरूप में)

  
(सुभाष चन्द पंवार)  
सहायक अभियन्ता  
यूईपीसीबी,  
देहरादून

  
(एसएस राणा)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
यूईपीसीबी,  
देहरादून

  
(वीएस बुदियाल)  
अपर जिलाधिकारी  
टिहरी गढ़वाल



संख्या - 01

**डबल सिंह भण्डारी**  
उपाध्यक्ष



कार्यालय : 0135-2655380  
0135-2654914  
मोबाइल : 9412016101

**जिला पंचायत, देहरादून (उत्तराखण्ड)**

अर्डर शा० पत्र सं० ११० ए/जि०

दिनांक ०२/६/१८

सेवा में,

क्षेत्रीय माध्यामिक  
उत्तराखण्ड पर्यावरण सुरक्षण एवं  
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून

महोदय,

आज दिनांक २/६/१८ को देहरादून हवाई अड्डे के जिला के संबन्ध में आगोजित की गई लोक सुनवाई में निम्न मुद्दाओं पर संज्ञा लेने का कष्ट करें

- 1- नये टर्मिनल विस्तार से हवाई अड्डे पर विमानों की आवजाही बढ़ेगी जिससे वायु प्रदूषण में इजाजा होने की संभावना है, आतः हवाई अड्डे के आस-पास के वन क्षेत्र में वृक्षों की लक्ष्यता (बृक्षों की संख्या) बढ़ाकर प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाना चाहिये, जिसके लिये P.P.F गेज पर एक दीर्घकालीन योजना बनाकर उस पर कार्य किया जाना चाहिये, इस हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था C.S.R फंड से उपलब्ध कराया जाना उचित होगा,
- 2- क्षेत्रीय जनता के हितों को ध्यान में रखते हुये नये टर्मिनल में क्षति होने वाले रोजगार के अवसरों में स्थानीय बरोजगारों की वरीयता देनी चाहिये, जिससे स्थानीय जनता को वायु, ध्वनि आदि प्रदूषण से होने वाली परेशानी की दृष्टि-शक्ति का अंदाजा हो सके,

02/6/18  
(डबल सिंह भण्डारी)

01/EE (P)  
Shree  
02/06/18



में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जॉली ग्रा-ए, देह्रादून  
 व्हाई मेट्रो के विमानपत्तन की प्रभिकरण स्वीकृति की लोकप्रचार  
 दिनांक 02/07/2018 को उपरोक्त व्यक्तियों की प्रभिकरण पंजीकृत:

क्र.सं.	नाम व पता	फोन नम्बर	हस्ताक्षर
1.	बी.एस. बुद्धिमान (अपराजितानारी) देह्रादून	9410112855	
2.	एस.एस. राजा (सेनिक अधिकारी) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देह्रादून	94129209	
3.	सुभाष चंद्र पंजा (सहायक अभियंता) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देह्रादून	9410793545	
4.	गणेश कुमार भट्ट DE Z.P Dehradun	976023195	
5.	अमित कुमार - डी.डी. गारा	84105320	30/06/18
6.	देवप्रकाश जोशी रानी पौखरी	7310593031	
7.	सुभाष चंद्र पंजा	895404752	
8.	संजय बापा पारसिया	7523725329	
9.	शहिल डोईवाला	7351363639	
10.	अमितल डोईवाला	9761456263	
11.	मिथुन		
12.	अमितल		
13.	Sanjeev Kumar DEHRADUN सचिव	8077322149	
14.			
15.	CHANDRA PRAKASH	9410934024	
16.	Naureen Tomas.	9411510919	
17.	Ankit Rana	8510910960	
18.	दीपक सिंह	989913152	
19.	Arvind Chank जौली गारा	8183852255	
20.	आशीष पाल (जौली गारा)	8475881384	आशीष



क्र.सं.	नाम व पता	मोबा. नं.	संकेत
21	Karthick . I <sup>M/S</sup> Borsch Consult	9791149953	D. Karthick
22	Brijesh Kumar, Dehradun	9650012645	Brijesh
23	V. S. Joshi / Prrax consult	4607119111	
24	Randhir Singh	81449612915	
25	Jahjad	9557008151	
26	Soban Singh Dist. Supt.	941-558208	Opunt
27	R. P. Munda	9438204191	RP
28	PRABEN KUMAR	8979198666	Praben
29	JAYANTO NEOGI	9536838269	Jay
30	NETRAPAL SINGH	9826832517	Netra
31	Ashu	9917711174	
32	Dad Singh Bhardari vice chairman Zila Panchayat D. Jwar	9412016101	Dad Singh
33	श्री 31 2 71 01	9690158494	श्री 31 2 71 01
34	Hansh C. Singh.	9690792897	
35	Sangya Kumar	8909220730	Sangya
36	श्री 31 2 71 01	75003307	
37	Dinesh Dyal	9627232730	Dinesh

2/6/18  
ADN  
14/11/18